अध्याय 4

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकेन्द्रित प्रशासन एवं अंतरण की स्थिति की समीक्षा

4.1 छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2004 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों के लिए लागू है।

4.2 राज्य में 10,971 ग्राम पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा 27 जिला पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत में औसत जनसंख्या 1787 एवं औसत क्षेत्रफल 13.99 वर्ग कि.मी. है। जनपद पंचायत में औसत जनसंख्या 1.34 लाख एवं औसत क्षेत्रफल 926 वर्ग कि.मी. है। नए जिलों का निर्माण करने के बाद भी वर्तमान में एक जिला पंचायत में औसत जनसंख्या 7.26 लाख एवं औसत क्षेत्रफल 5007 वर्ग कि.मी. है।

4.3 राज्य का लगभग 88,000 वर्ग कि.मी. जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 65 प्रतिशत है, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के अंतर्गत सम्मिलित है। यह अधिनियम राज्य के 13 जिलों में पूर्णतः तथा 5 जिलों में अंशतः विस्तारित है, जिसमें कुल 146 विकासखण्डों में से 85 विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

4.4 छत्तीसगढ़ राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया है- जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

4.5 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य में कार्यात्मक क्षेत्रों की पहचान की गई है एवं कार्यों को हस्तांतरित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को विस्तृत रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- 1. नियामक कार्य 2. संधारण कार्य 3. विकास कार्य।

4.6 पंचायत राज अधिनियम की धारा 49, 50 तथा 52 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) द्वारा उनके पास उपलब्ध वित्तीय सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्य किए जाएंगे।

4.7 अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ग्राम स्तर पर अधोसंरचना जैसे- शाला भवन, आंगनबाड़ी इत्यादि के रख-रखाव का कार्य ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं जैसे- सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, सार्वजनिक वितरण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निरीक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है।

4.8 अधिनियम की धारा 50 के अनुसार जनपद पंचायत को कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन प्रबंधन, मछली पालन, जन स्वास्थ्य, बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा, संचार, कुटीर उद्योग, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, मेले एवं त्यौहार से संबंधित कार्य एवं गतिविधियों के संचालन का दायित्व सौंपा गया है।

4.9 धारा 52 के अनुसार जिला पंचायत के कार्यों के अंतर्गत पंचायतों की योजनाओं का एकीकरण कर जिले के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत की गतिविधियों का समन्वय एवं निगरानी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। जिला पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागीय कार्यों के देखरेख का अधिकार है।

कार्यात्मक अंतरण एवं कार्यकलाप चित्रण

4.10 संविधान की 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 कार्य क्षेत्रों का नियमन करती है।

4.11 राज्य सरकार ने अविभाजित मध्य प्रदेश में लागू की गई अंतरण नीति को स्वीकार किया है। वर्ष 2004 से वर्ष 2008 के मध्य राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत प्रावधान किए हैं, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने के लिए अनेक अधिकार एवं कर्तव्य सौंपे गए हैं।

4.12 संविधान की 11वीं अनुसूची मे उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित 27 कार्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गए हैं।

4.13 पंचायती राज संस्थाओं को दो मुख्य कार्य- लघु वनोपज एवं तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा अब तक हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।

4.14 राज्य सरकार द्वारा 15 विभागों के विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों को पंचायती राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है। ये विभाग हैं- 1. स्कूल शिक्षा विभाग, 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, 3. महिला एवं बाल विकास विभाग, 4. खनिज संसाधन विभाग, 5. ग्रामोद्योग विभाग, 6. कृषि विभाग, 7. पशुपालन विभाग, 8. मत्स्य पालन विभाग, 9. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, 10. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 11. खेल एवं युवा कल्याण विभाग, 12. ऊर्जा विभाग, 13. जल संसाधन विभाग, 14. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), 15. श्रम विभाग।

4.15 कार्यों का अंतरण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम, उस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्तर की संस्था को ही सौंपा जाना सुनिश्चित हो सके।

4.16 उपयुक्त स्तर की पंचायतों को कुछ मैदानी कर्मचारियों की भर्ती, अविवादित नामांतरण, भू-अभिलेखों के संशोधन एवं बंटवारा संबंधी प्रकरणों में अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें सहयोग प्रदान करने का अधिकार भी प्राप्त है।

4.17 भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार अंतरण प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015-16 में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 10वें क्रम पर है। अंतरण को सरल बनाने हेतु प्रोत्साहन देने के संदर्भ में राज्य का स्थान चतुर्थ है, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक कार्य और शक्ति अंतरित करने की दिशा में राज्य की सतत् प्रगति को दर्शाता है।

4.18 अंतरण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यकलाप चित्रण (एक्टिविटी मेपिंग) की स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका 4.1

छत्तीसगढ़ में कार्यकलाप चित्रण की स्थिति

क्र.	**भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय**	**गतिविधि/ योजना**			अंतरण की तिथि (अधिसूचना/आदेश की तिथि)
		जि. पं.	ज. पं.	ग्रा. पं.	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है।	✓	✓	✓	मुख्य सचिव की अधिसूचना दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि।	x	x	✓	उपरोक्तानुसार
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास।	✓	✓	✓	उपरोक्तानुसार
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट-पालन।	✓	✓	✓	उपरोक्तानुसार
5	मत्स्य उद्योग	✓	✓	✓	उपरोक्तानुसार
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।	✓	✓	✓	उपरोक्तानुसार

7	लघु वन उपज।	x	x	✓	उपरोक्तानुसार
8	लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।	x	x	✓	उपरोक्तानुसार
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
10	ग्रामीण आवास।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94
11	पेयजल।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
12	ईंधन और चारा।	x	x	x	-
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।	x	✓	✓	दिनांक 25.1.94
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।	x	x	✓	दिनांक 3.8.98
15	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94 और 3.8.98
17	शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।	x	x	x	-
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94
20	पुस्तकालय।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94 और 30.10.96
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
22	बाजार और मेले।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94 और 3.8.98
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94, 8.8.94 और 3.8.98
24	परिवार कल्याण।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94 और 3.8.98
25	महिला और बाल विकास।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94, 8.8.94 और 3.8.98
26	समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।	✓	✓	✓	दिनांक 8.8.94, 28.10.96 और 3.8.98
27	दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।	✓	✓	✓	दिनांक 25.1.94 और 8.8.94
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली।	x	x	✓	दिनांक 3.8.98
29	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।	x	x	✓	दिनांक 25.1.94

स्रोतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

अंतरण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य की स्थिति कार्मिक अंतरण की दृष्टि से कार्य और कोष की तुलना में बेहतर है। (तालिका 4.2)

तालिका 4.2
छत्तीसगढ़ में कार्यात्मक अंतरण की स्थिति

क्र.	संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषय	कार्यकलाप चित्रण	कोष	कार्य	कार्मिक
1	कृषि सहित कृषि विस्तार	हां	नहीं	नहीं	हां (जि.पं., ज.पं. तथा ग्राम पंचायत स्तर पर)
2	भूमि उन्नयन, भूमि सुधार, चकबंदी एवं भूमि सरंक्षण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक विकास	हां	हां	सिंचाई नहरो का रखरखाव	हां (मु.का.अ. जि.पं., परि.अ. ज.पं.)
4	पशु प्रबंधन/पालन, दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन	हां	नहीं	हां	हां (जि.पं.- उपसंचालक प.चि.से., ज.पं.- प.चि. से.वि.अ., ग्रा.पं.-सहा. प.चि.क्षे.अ.)
5	मत्स्य पालन	हां	हां	1. मत्स्य तालाबो को लीज पर देना व फीस वसूलना 2. मनरेगा योजना के तहत नए तालाबो का निर्माण/खनन	हां (जि.पं.- उप संचालक मत्स्य पालन, ज.पं.- मत्स्य पालन विस्तार अधिकारी)
6	सामाजिक वन प्रबंधन तथा कृषि वन प्रबंधन	हां	नही	मनरेगा योजना अंतर्गत पौध रोपण	नहीं (वनमंडलाधिकारी, वन क्षेत्रपाल व वनरक्षक प. रा.सं.के भाग नही है)
7	लघु वन उपज	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	इंधन और चारा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	सामुदायिक संपत्ति का अनुरक्षण	हां	नहीं	हां	हां (कार्यपालन अभियंता- जि.पं, उपयंत्री- ज.पं.,)

10	ग्रामीण आवास	हां	हा	हां	हां (मु.का.अ. जि.पं, मु.का.अ. ज.पं., पंचायत सचिव ग्रा.पं.)
11	पेयजल	हां	हां	हां	हां
12	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हां	हां	हां	हां (मु.का.अ. जि.पं, मु.का.अ. ज.पं., ग्राम सहायक/ग्राम रोजगार सहायक ग्रा.पं.)
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हां	हां (जनपद पंचायत को अंतरित)	हां (ग्राम पंचायत)	हां
14	शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक सहित	हां	हां	हां	हां
15	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	नहीं	हां	नही
17	पुस्तकालय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	सांस्कृतिक गतिविधियां	नहीं	हां	हां	नहीं
19	कमजोर तबकों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति का का कल्याण	हां	हां	हां	हां (जि.पं. स्तर पर उपसंचालक, ज.पं. स्तर पर मु.का.अ., ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर सचिव)
20	मानसिक रूग्ण एवं विकलांगों का समाज कल्याण	हां	हां	हां	हां
21	महिला एवं बाल विकास	हां	हां	हां	हां
22	स्वास्थ्य एवं आरोग्य, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व औषधालय	हां	हां	हां	नही (पं.रा.सं.के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नही)
23	परिवार कल्याण	हां	नहीं	नहीं	नहीं
24	सड़के, भूमिगत नालियां, पुल, नाव, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन	हां	हा	हां	नहीं
25	गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	बाजार एवं मेले	हा	हा	हा	हा
27	खादी कुटीर एवं ग्रमोद्योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
29	ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स्रोत : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

अन्य कार्यों का अंतरण

4.19 वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य कार्यों में दो महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है -

(1) मूलभूत अनुदान में से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, अनुरक्षण एवं निरीक्षण।

4.20 उपयुक्त स्तर की पंचायत को कार्यों के अंतरण के साथ-साथ कर्मचारियों का अंतरण भी किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को वेतन, कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाने के लिए आवश्यक कोष जारी किया जाता है।

4.21 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि पेसा क्षेत्रों के लिए कार्यात्मक अंतरण की प्रक्रिया नहीं की गई है और न ही पेसा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यकलाप चित्रण किया गया है। पेसा क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को कोई विशेष कार्य भी नहीं सौंपे गए हैं।

कार्यकलाप चित्रण (एक्टिविटी मेपिंग)

4.22 अविभाजित मध्यप्रदेश में वैधानिक अंतरण प्रक्रिया दिनांक 20 अगस्त 1994 के आदेश के द्वारा प्रारंभ की गई थी एवं दिनांक 20 अगस्त 1998 के मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा इसे विस्तारित किया गया।

4.23 दिनांक 20 अगस्त 1998 का आदेश जिसे छत्तीसगढ़ ने अपनाया है, न केवल वास्तविक कार्यात्मक अंतरण को व्यक्त करता है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं एवं राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन को भी दर्शाता है। यह वित्तीय, प्रशासनिक, कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों की व्यवस्था के सामान्य सिद्धांतों का भी निरूपण करता है।

4.24 राज्य सरकार ने व्यापक कार्यकलाप चित्रण के लिए अनेक पहल की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 1998 के आदेश की तुलना में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक कार्य से संबंधित गतिविधियों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना है।

4.25 वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में 15 विभागों द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलाप चित्रण और अंतरण संबंधी आदेश एवं विज्ञप्ति जारी किए गए हैं।

4.26 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची तथा पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार 29 में से 27 विषयों के लिए कार्यकलाप चित्रण तैयार किये गये हैं। कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया फरवरी 2006 में सम्पन्न हुई तथा इसे कार्यरूप में परिणित करने के लिए आवश्यक शासकीय आदेश भी जारी किए गए।

4.27 कार्यकलाप चित्रण की रूपरेखा बनाने के बाद भी 27 विषयों में कार्यकलाप चित्रण निष्पादन के लिए आवश्यक शासनादेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

4.28 आयोग द्वारा यह भी देखा गया है कि कार्यकलाप चित्रण प्रक्रिया, राज्य में वर्ष 2006 में ही पूर्ण हो गई थी, परंतु बहुत से विषयों से संबंधित पदाधिकारी इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियां

4.29 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न क्रियाशील समितियों के लिए उचित वातावरण निर्मित हुआ है।

4.30 जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर पांच स्थायी समितियां हैं, जो राज्य में जिला एवं जनपद पंचायतों की कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग है। (तालिका 4.3)

तालिका 4.3

छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की स्थायी समितियां

क्र.	समिति का नाम	कार्य
1	सामान्य प्रशासन समिति	जिला/जनपद पंचायत की स्थापना और सेवाओं, प्रशासन, योजना, बजट, लेखे, कराधान तथा अन्य वित्तीय मामलों तथा उन विषयों से, जो किसी अन्य समिति को आबंटित कृत्य के अंतर्गत नहीं हैं, संबंधित समस्त विषयों के लिए उत्तरदायी है।
2	कृषि समिति	कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, भूमि उद्धार (मृदा संरक्षण और समोच्यबंधान सहित), मत्स्यपालन, बीज वितरण तथा कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषयों के लिए उत्तरदायी है।
3	शिक्षा समिति	शिक्षा के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा, दिव्यांगों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से पीड़ितों को राहत तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उत्तरदायी है।
4	संचार एवं संकर्म समिति	संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलप्रदाय, जल निकास तथा अन्य लोक संकर्मों के लिए उत्तरदायी है।
5	सहकारिता एवं उद्योग समिति	सहकारिता, मितव्ययिता, अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार तथा सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी है।

स्रोत- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 47

4.31 आयोग द्वारा यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में जिला एवं जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, अन्य समितियों की तुलना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4.32 ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व में तीन स्थायी समितियाँ होती थी। वर्ष 2004 में अधिनियम में संशोधन के द्वारा स्थायी समितियों की संख्या पाँच कर दी गई है।

तृतीय राज्य वित्त आयोग का अवलोकन

4.33 आयोग का यह अवलोकन है कि पेसा क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई विभिन्न गतिविधियों की देखरेख के लिए कोई भी स्थायी समिति नहीं बनाई गई है।

4.34 मैदानी स्तर पर अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जो विशेष रूप से अनुरक्षण एवं विकास कार्यों से संबंधित है, को समय-समय पर विस्तारित किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाएं बड़े पैमाने पर राज्य में विकास गतिविधियों का प्रबंधन कर रही हैं। परंतु इन संस्थाओं को सभी कार्य नहीं सौंपे गये हैं जिसके कारण कार्यों में अधूरापन और दोहराव दिखाई देता है।

4.35 पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कार्यो के सौंपे जाने के संबंध में कोई विशेष नीति नहीं है। अनेक मामलों में पेसा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली विभिन्न समानान्तर संस्थाओं के द्वारा बाधित होती है। जैसे शाला प्रबंधन समितियाँ तथा वन प्रबंधन समितियाँ कार्यरत हैं, परन्तु पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा) से इनका संबंध कार्यो के संपादन में सीमित है।

आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए जाने चाहिए।

4.36 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियाँ कार्यरत हैं, परंतु वास्तविकता में इन समितियों का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पा रहा है। विभिन्न विषयो में इन समितियों की अनुशंसाओं पर न तो कोई ध्यान दिया जाता है, और न ही कोई प्रभावी कदम उठाया जाता है।

आयोग के सुझाव

4.37 राज्य में कार्यात्मक अंतरण को मजबूती देने के संदर्भ में पेसा क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

4.38 पंचायतों के सभी स्तरों पर आंकड़ो और सूचना प्रणाली की कमी है जिस पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.39 ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति, लोगों की दशा तथा सामाजिक उपलब्धि संबंधी ग्रामवार जानकारी का एक डाटा बैंक ग्राम पंचायत स्तर पर बनाया जाना चाहिए।

4.40 छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरविभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिए जाने वाले अधिसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है।

अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाए।

आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कार्मिकों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखें कि जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सकें।

4.41 *आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।*

♦ ♦